



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 37780 / 2019

राज बिहारी सिंह @ राज बिहारी एवं 3 अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षी पक्ष

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: दामिनी हजेला, गोविंद शरण हजेला

प्रतिवादियों के अधिवक्ता: अंजनी कुमार रघुवंशी, शासकीय अधिवक्ता, शेर सिंह

एएफआर

सुरक्षित : 8.12.2025

प्रदत्त : 28.01.2026

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री गोविंद सरन हजेला, विपक्षी पार्टी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री शेर सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं।

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत यह आवेदन आवेदकों द्वारा अभियोगपत्र और दिनांक 6.8.2019 के उस आदेश को रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 504, 506 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत संज्ञान लिया गया है। यह मामला विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, पुलिस स्टेशन रोहानिया, जिला वाराणसी के समक्ष विशेष सत्र सुनवाई संख्या 228/2019 (सरकार बनाम राज बिहारी सिंह और अन्य) में लंबित है। उपर्युक्त आपराधिक मामला पुलिस स्टेशन रोहानिया, जिला वाराणसी में दिनांक 13.3.2019 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसका वाद संख्या 148/2019 है।

3. इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान आवेदन दाखिल करते समय आवेदकों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(v) के तहत अपराध को रद्द करने की प्रार्थना भी की थी। हालांकि, बाद में दिनांक 6.8.2019 के उपरोक्त आदेश को दिनांक 21.10.2019 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया (उपरोक्त आदेश की प्रति शिकायतकर्ता के प्रति-हलफनामे के साथ इस न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई है)।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 21.10.2019 के उपरोक्त संशोधन आदेश के मद्देनजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध को निरस्त करने की प्रार्थना को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(v) के स्थान पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध के लिए प्रार्थना से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. आवेदकों ने दिनांक 16.10.2019 को पूरक हलफनामा भी दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि लिपिकीय त्रुटि के कारण आवेदक संख्या 1 का नाम राज बिहारी सिंह @ राज बिहारी गलत तरीके से राज बिहारी सिंह के स्थान पर टाइप किया गया है।

5. प्रारंभ में, रतन लाल गोंड द्वारा दिनांक 13.3.2019 को आवेदकों और दो अन्य व्यक्तियों, माणिक चंद और विनोद भारती लेखपाल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 504 और 506 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, सूचनादाता का आरोप है कि वह ग्राम बांदेपुर, पुलिस थाना रोहानिया, जिला वाराणसी का निवासी है। सूचनादाता का उसी ग्राम के निवासी माणिक चंद के साथ भूमि विवाद है। कुछ लोग मुखबिर की अनुसूचित जनजाति जाति को रद्द करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में, क्षेत्र लेखपाल विनोद भारती ने ग्राम प्रधान राज बिहारी (आवेदक संख्या 1), मोहम्मद नईम (आवेदक संख्या 3), शिव अधर सिंह (आवेदक संख्या 2) और लाल मोहम्मद (आवेदक संख्या 4) के साथ मिलकर मुखबिर की अनुसूचित जनजाति स्थिति को फर्जी घोषित करवाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई है कि मुखबिर बड़भुजा जाति का है। इसके परिणामस्वरूप, मुखबिर के पिता स्तब्ध रह गए और आरोपी उन्हें सड़क पर गाली-गलौज करते थे। मुखबिर को बड़भुजा जाति का घोषित किए जाने के कारण, उनके पिता स्तब्ध रह गए और इसी वजह से 12 मार्च 2019 की रात को उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

6. उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में, जांच अधिकारी ने मुखबिर का बयान दर्ज किया, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों का समर्थन किया है और आगे बताया है कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुखबिर का जाति प्रमाण पत्र वर्ष 2012 में तैयार किया गया था और मुखबिर का जाति प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए दूसरा आवेदन दिसंबर 2018 में दिया गया था और आवेदकों ने मुखबिर के जाति प्रमाण पत्र के विरुद्ध आवेदन दिया है। गवाह ने आगे बताया कि मृतक ने उसे सूचित किया था कि आवेदक विवादित भूमि को छुड़ाने के लिए मुखबिर के पिता को धमकाते थे।

7. जांच अधिकारी ने संतराज गोंड का बयान भी दर्ज किया है, जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का समर्थन किया है। जांच के दौरान, जांच अधिकारी को मृतक का आत्महत्या पत्र भी मिला, जिसमें मृतक ने भूमि विवाद का विस्तृत विवरण दिया था और यह भी कहा था कि आवेदक शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की आजीविका में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या की।

8. मृतक का पोस्टमार्टम 13.3.2019 को दोपहर 2:08 बजे हुआ और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने राय दी कि मृतक की मृत्यु फांसी के परिणामस्वरूप दम घुटने से हुई।

9. 22.12.2018 को लेखपाल ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष मुखबिर की जाति भदभुजा बताते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त जांच रिपोर्ट में आवेदकों ने मुखबिर और उसके परिवार के सदस्यों की जाति के बारे में बयान दिया है। उपरोक्त जांच के अनुसरण में, जांच अधिकारी ने आवेदकों और विनोद कुमार लेखपाल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 504 और 506 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। इसके बाद संबंधित न्यायालय ने संज्ञान लिया और दिनांक 6.8.2019 के आदेश द्वारा समन जारी किया, जिसे दिनांक 21.10.2019 के आदेश द्वारा उपरोक्त धाराओं के संबंध में संशोधित किया गया।

10. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों के विरुद्ध आरोप यह है कि उन्होंने विपक्षी पार्टी संख्या 2 के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके परिणामस्वरूप विपक्षी पार्टी संख्या 2 के पिता ने आत्महत्या कर ली। केवल जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली शिकायत दर्ज कराना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का कारण नहीं है। आवेदकों के कहने पर आत्महत्या करने का कोई तात्कालिक कारण नहीं है। आवेदकों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि वर्ष 2012 में जारी जाति प्रमाण पत्र की वर्ष 2018 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनः जांच की गई थी। हालांकि, जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का कोई आदेश नहीं था। रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों के आधार पर भी आवेदकों के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है।

12. विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री शेर सिंह ने प्रस्तुत किया कि आवेदक अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित विपक्षी पक्ष संख्या 2 को परेशान कर रहे थे और शिकायतकर्ता को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी में नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में आवेदकों ने चुनौती दी। इसके परिणामस्वरूप, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के पिता ने आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा। विपक्षी पक्ष संख्या 2 के पिता के सुसाइड नोट के अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 के पिता ने आवेदकों के आचरण के कारण आत्महत्या की है। धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन में सुसाइड नोट की वैधता का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

13. आवेदकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत तलब किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रावधान करती है। आत्महत्या करना अपराध नहीं है क्योंकि इसमें शामिल व्यक्ति कानून की पहुंच से बाहर होता है। हालांकि, आत्महत्या का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत दंडनीय है। इसी प्रकार, आत्महत्या के लिए उकसाना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दंडनीय है। आत्महत्या के लिए उकसाना उन व्यक्तियों तक सीमित है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने में सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

14. भारतीय दंड संहिता की धारा 107 किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 नीचे उद्धृत की गई है:-

“107. किसी कार्य के लिए उकसाना.—कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए उकसाता है, जो—

पहला— किसी व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाना; या



दूसरे.— यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ उस कार्य को करने के लिए किसी षड्यंत्र में संलग्न होता है, और उस षड्यंत्र के अनुसरण में तथा उस कार्य को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध चूक होती है; या

तीसरा.— किसी भी कार्य या अवैध चूक द्वारा जानबूझकर उस कार्य को करने में सहायता करना।

स्पष्टीकरण 1.— जो व्यक्ति जानबूझकर गलत बयानी करके, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे प्रकट करना उसका दायित्व है, स्वेच्छा से किसी कार्य को करवाता है या करवाने का प्रयास करता है, उसे उस कार्य को करवाने के लिए उकसाना कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2.— जो कोई भी किसी कार्य के घटित होने से पहले या उस कार्य के घटित होने के समय ऐसा कुछ करता है जिससे उस कार्य को घटित करना आसान हो जाए, उसे उस कार्य को घटित करने में सहायता करना कहा जाता है।"

15. उकसाने का कानून इस सिद्धांत पर आधारित है कि न केवल अपराध करने वाला व्यक्ति ही कानून के प्रति जवाबदेह है, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है, साजिश रचता है या जानबूझकर सहायता करता है, वह भी कानून के तहत जवाबदेह है। उकसाने का अर्थ है जब कोई व्यक्ति शब्दों, आचरण या जानबूझकर गलत बयानी के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए सक्रिय रूप से उकसाता है, प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है या प्रेरित करता है। इसके लिए आपराधिक कृत्य को प्रेरित करने का आपराधिक इरादा आवश्यक है। उकसाने और किए गए अपराध के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध से संबंधित न होकर आरोपी/उकसाने वाले की मात्र निष्क्रिय गतिविधि उकसाने के दायरे में नहीं आ सकती। उकसाना हुआ है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप यह है कि आवेदकों ने मुखबिर और उसके परिवार के सदस्यों की जाति के संबंध में बयान दिया है। यह बयान संबंधित अधिकारियों द्वारा मुखबिर को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन पर की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जा रही जांच के दौरान दिया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला इस तथ्य पर आधारित है कि आवेदकों ने बयान दिया है कि मुखबिर उस विशेष जाति से संबंधित नहीं है जिसका दावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपने आवेदन में किया था। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामले में अभियुक्तों द्वारा मृतक की आत्महत्या के लिए कोई साजिश नहीं रची गई थी। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला नहीं है कि आवेदकों ने जानबूझकर आत्महत्या में सहायता की है।

17. अभियोजन पक्ष का मामला इस तथ्य पर आधारित है कि आवेदकों ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच में बयान दिया है कि मुखबिर उस विशेष जाति से संबंधित नहीं है जिसका दावा मुखबिर ने किया है और उपरोक्त आधार पर मुखबिर के पिता ने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या नोट छोड़ा है कि आवेदक मुखबिर और उसके परिवार के सदस्यों को जीने नहीं दे रहे हैं और इस प्रकार मुखबिर के पिता ने आत्महत्या कर ली है।

18. यह देखा जाना चाहिए कि आवेदकों द्वारा कथित रूप से दिया गया बयान, मुखबिर द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच के आधार पर था। यह भी आरोप है कि आवेदकों ने अनुसूचित जनजाति के रूप में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुखबिर के आवेदन का विरोध किया था। यह बयान सह-आरोपी (लेखपाल) द्वारा दर्ज किया गया था और जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो जाति प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकारी है। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि मृतक द्वारा आत्महत्या करने के संबंध में आरोपी व्यक्ति/आवेदकों द्वारा कोई प्रत्यक्ष उकसावा दिया गया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जाति प्रमाण पत्र जिला अधिकारियों द्वारा जांच के बाद जारी किया जाना आवश्यक है और अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकारी के पास होता है। आवेदकों ने जांच कार्यवाही में मुखबिर और उसके परिवार के सदस्यों की जाति के संबंध में बयान दिया है। आवेदकों का उपरोक्त कथित कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तहत उकसावे के अंतर्गत नहीं आता है। आवेदकों के (संबंधित अधिकारियों के समक्ष) दिए गए बयान और मुखबिर के पिता द्वारा आत्महत्या करने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। मुखबिर के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में हुई जांच में मात्र भाग लेना, उसके पिता द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का कारण नहीं माना जा सकता। मृतक के संबंध में पुलिस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा बरामद किए गए आत्महत्या नोट में भी आवेदकों द्वारा मृतक को उकसाने से संबंधित कोई विवरण या महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

19. आवेदकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के तहत भी तलब किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत अपराध यह निर्धारित करता है कि जो कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करता है और उसे उकसाता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि ऐसा उकसावा उसे सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए प्रेरित करेगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत अपराध में यह परिकल्पना की गई है कि जानबूझकर अपमान करना और इस इरादे से किसी व्यक्ति को उकसाना कि ऐसा उकसावा उसे सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अपराध करने के लिए प्रेरित करेगा, आवश्यक है। वर्तमान मामले में, ऐसी कोई ठोस परिस्थितियाँ और विवरण नहीं हैं जो यह दर्शाते हों कि कोई जानबूझकर अपमान किया गया था जिससे शिकायतकर्ता को सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अपराध करने के लिए उकसाया जा सके; इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत अपराध का आवश्यक तत्व अभियोजन पक्ष के मामले से सिद्ध नहीं होता है।

20. इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 आपराधिक धमकी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। आपराधिक धमकी के अपराध का वर्णन भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अंतर्गत किया गया है और इसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

“503. आपराधिक धमकी - जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या प्रतिष्ठा को, जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है, किसी प्रकार की हानि पहुँचाने की धमकी देता है, इस इरादे से कि उस व्यक्ति को भयभीत किया जाए, या उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए विवश किया जाए जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या किसी ऐसे कार्य को करने से रोका जाए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसे करने का वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार है, ऐसी धमकी के क्रियान्वयन से बचने के साधन के रूप में, वह आपराधिक धमकी का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण - किसी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी, जिसमें धमकी पाने वाले व्यक्ति की रुचि हो, इस धारा के अंतर्गत आती है।

21. आपराधिक धमकी का कृत्य तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी जान, प्रतिष्ठा या संपत्ति को, या उस व्यक्ति की जान या प्रतिष्ठा को, जिसमें उस व्यक्ति की रुचि हो, इस इरादे से धमकी देता है कि वह व्यक्ति भयभीत हो जाए, या उससे कोई ऐसा कार्य करवाए जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या उसे कोई ऐसा कार्य करने से रोके जिसे करने का वह कानूनी रूप से हकदार है, ताकि ऐसी धमकी के क्रियान्वयन से बचा जा सके। आपराधिक धमकी आपराधिक धमकी का अपराध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के तहत मुखबिर के बयान में ऐसी कोई महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ और विवरण नहीं दिए गए हैं जिनसे यह संकेत मिले कि आवेदकों द्वारा मुखबिर को कोई धमकी दी गई थी। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और कारणों के मद्देनजर, आवेदकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

22. आवेदकों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत भी तलब किया गया है। उपरोक्त प्रावधान नीचे उद्धृत किया गया है:-

“3. अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड। __ (1)...

(2) जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए, -

(v) भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) के तहत किसी ऐसे व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध करता है जिसके लिए दस वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा का प्रावधान है, यह जानते हुए कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति उस सदस्य की है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23. उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध करना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। यह भी देखा जाना चाहिए कि उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और तर्कों के आधार पर आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। अभियोजन पक्ष का यह आरोप कि आवेदकों ने जांच में यह बयान दिया है कि क्या मुखबिर अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, और इस प्रकार यह कहना कि मुखबिर संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन में दावा की गई जाति के अलावा किसी अन्य जाति का है, अपने आप में कानून के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अधिकारियों को उनके वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करे, अतः आवेदकों को ऐसा कोई अपराध करने का दोषी नहीं माना जा सकता जो कानून के अंतर्गत दंडनीय हो।

24. उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और तर्कों के आलोक में, भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 504, 506 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत आवेदकों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। उपर्युक्त आपराधिक कार्यवाही तथा विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, वाराणसी द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 228/2019 (सरकार बनाम राज बिहारी सिंह और अन्य) (मामला अपराध संख्या 148/2019 से संबंधित) में दिनांक 21.10.2019 को पारित आदेश द्वारा संशोधित 6.8.2019 का समन आदेश, आवेदकों, अर्थात् राज बिहारी सिंह उर्फ राज बिहारी, शिव अधर सिंह, मोहम्मद नईम और लाल मोहम्मद के संबंध में निरस्त किया जाता है।

25. इसके परिणामस्वरूप, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

जनवरी 28, 2026

वीएमए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।